SEMESTER – II

(Social and Political dynamics of Democracy)

CC – 09

CONTEMPORARY INDIA

(2019 - 2021)

E-Content 3

- Unit – III : Topic
  - A. Caste and Politics in Contemporary India.

Vetted by :

प्रो0 (डॉ0) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9835463960

डॉ0 विद्यानंद विधाता

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9472084115

समानताओं के लिए अम्बेडकर का प्रयास

1920 से 1940 तक की अवधि के उनके लेखनों से यह स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर ने अस्पृश्यों के प्रति भेदभाव के लिए उपचार के विषय को, उन्हें मूलभूत मानवाधिकारों एवं विकास करने के अधिकारों की ऐतिहासिक एवं प्रचलित अस्वीकृति पर आधारित किया है। 1919 में अपने प्रथम व्यवस्थित लिखित वक्तव्य में, अम्बेडकर ने तर्क किया,

अस्पृश्यता ने न केवल अस्पृश्यों के व्यक्तित्व के विकास को रोका वरन् यह उनके ''भौतिक–कल्याण'' का मार्ग भी अवरोधित करती हैं। इसने, उनको निश्चित नागरिक अधिकारों से वंचित किया। अस्पृश्य एक नागरिक भी नहीं हैं। नागरिकता अधिकारों की एक गठरी है, जैसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, वैयक्तिक सम्पत्ति रखने का अधिकार, कानून के समझ समानता, विवेक की स्वतन्त्रता, विचार एवं कथन की स्वतन्त्रता, एकत्र हाने का अधिकार, देश की सरकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार एवं राज्य के अन्दर पदधारण करने का अधिकार। अस्पृश्यों की अस्पृश्यता इन अधिकारों को उनकी पहुॅच से बहुत दूर कर देती हैं।

लगभग दस वर्ष बाद, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के सुधार के समय 1928 में अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने अपने दावे की पुष्टि करते हुए तर्क किया किः

दलित वर्गों को थल सेना, जल सेना एवं पुलिस में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति, बहुसंख्यओं के धर्म की

धारणा के विरूद्ध है। उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल सकता है क्योंकि उनका प्रवेश बहुसंख्यक के धर्म की धारणा के विरूद्ध है। वे सरकारी, औषधालयों की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर अपने व्यक्तियों अथवा औषधालयों को उन्हें अपवित्र नहीं करने देंगे, वे स्वच्छ एवं उच्च जीवन नहीं व्यतीत कर सकते क्योंकि उनकी प्रदत्त स्थिति से ऊपर रहना बहुसंख्यक के धर्म की धारणा के विरूद्ध है (अम्बेडकर, 1928)। अम्बेडकर आगे कहते हैं,

दलित वर्गों के विरूद्ध सामाजिक नियमावली का प्रवर्तन इतना कठोर है कि नागरिकता के अपने प्राथमिक अधिकारों को व्यवहार में लाने का कोई भी प्रयास, बहुसंख्यकों को, इतिहास में ज्ञात सामाजिक क्रूरता के निकृष्टतम स्वरूप का व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करने में ही समाप्त होता है (तदैव : 445)।

नवम्बर 1930 में पहले गोलमेज सम्मेलन के पूर्ण सत्र में इसी तर्क को दुहराते हुए अम्बेडकर ने कहा,

सबसे बुरा यह है कि उनकी अस्पृश्यता के कारण इन नीचता एवं मानव सम्पर्क पर रोक में न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की सम्भावना निहित हैं, वरन् यह अवसर की भी समानता एवं उन सर्वाधिक प्राथमिक नागरिक अधिकारों, जिन पर सम्पूर्ण मानव अस्तित्व आधारित है, के लिए एक सकारात्मक अस्वीकृति के रूप में वास्तव में क्रियाशील होता है (अम्बेडकर, 1930: 504)।

17 वर्ष बाद 1947 में जब वे स्वतन्त्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए भेदभाव के विरूद्ध सुरक्षा की आवश्यकता के औचित्य को

बता रहे थे, अम्बेडकर ने अन्तिम रूप से तर्क किया, ''असमान व्यवहार भारत में अस्पृश्यों की अपरिहार्य नियति रही है'' (अम्बेडकर, 1946: 406–7) और आगे कहा कि ''भारत जैसे देश में जहाँ वृहद् पैमाने पर एवं अनवरत रूप से भेदभाव करना सम्भव है, मौलिक अधिकारों का अस्पृश्यों के लिए कोई वास्तविक अर्थ नहीं है'' (तदैव)।

अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए एवं प्रस्तुत इन चार ज्ञापन–पत्रों पर एक निकट दृष्टि, अस्पृश्यों की समस्याओं की उनकी व्याख्या का अभिग्रहण करती है। उनकी दृष्टि में, अस्पृश्यों की समस्याओं की जड़ें, उन्हें मूलभूत मानव अधिकारों जो मानव विकास के लिए आवश्यक है – की अस्वीकृति में निहित है। अतः अम्बेडकर ने उपचारों के लिए औचित्य को मूलभूत रूप से मानवाधिकारों, नागरिकता के अधिकारों एवं अन्य अधिकारों की अस्वीकृति पर आधारित किया है।

1919 में अम्बेडकर ने अपनी औपचारिक स्थिति को जब पहली बार घोषित किया, तभी से हम निराकरणों के होते हुए विस्तार को भी देखते हैं, जिसने 1946 में एक निश्चित स्वरूप धारण किया। अस्पृश्यों के लिए समाज में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में समान अवसर एवं उचित पहुॅच सहभागिता एवं प्रतिनिधितव को सुनिश्चित करने के लिए अम्बेडकर ने सम्मिलित रूप से अनेक उपचारों का सुझााव दिया।

अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित कुछ उपाय थे– सभी के लिए अधिकार का प्रावधानः दण्डात्मक उपायों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध कानूनी सुरक्षाः नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में समान पहुॅच एवं सहभागिता (एवं आरक्षण नीति के माध्यम से) को सुनिश्चित करने के उपायः

और इसके साथ ही भूतकाल में समान अवसरों की अस्वीकृति की क्षतिपूर्ति के लिए अस्पृश्यों के विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य वाली राज्य की एक निश्चित रणनीति।

इन प्रत्येक उपायों के पीछे तर्क एवं कारणों की हमें विवेचना करनी चाहिए:

समान अधिकार

सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में भारत के अन्य नागरिकों के समानुरूप समान अधिकारों का होना एवं कानून के सम्मुख समानता की प्रत्याभूति को प्रारम्भिक पूर्व–दशा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए अस्पृश्यता एवं जाति व्यवस्था की संस्था को शासित करने वाले प्रथागत नियमों का उन्मूलन आवश्यक था।

उपयोगी पुस्तक

1. एस.एम.माइकल, आधुनिक भारत में दलित : दृष्टि एवं मूल्य
2. प्रसन्न कुमार चौधरी एवं श्रीकान्त, बिहार में दलित आंदोलन 1912–2000